

1

807

10.3.16

Request-95  
142

22/5  
210

29/3/16

31-3-16

30/3/16

Scanned  
9-3-16  
Total 2 page

04.03.16

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)  
संख्या- अधि0-386/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006  
लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के निम्नलिखित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडूटी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-01-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित अवधि में एवं इसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराये गये व्यय-प्रमाणक के आधार पर निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल के क्य हेतु व्यय की गयी धनराशि जिसका उल्लेख कालम-4 में किया गया है तथा जिसकी कुल धनराशि रू0 1,31,267/- (रू0 एक लाख इक्तीस हजार दो सौ सरसठ मात्र ) होती है, की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	अवधि	प्रतिपूर्ति की धनराशि(रू0 में)
1	2	3	4
1-	श्री पीयूष चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,072.00
2-	श्री घनश्याम पाठक, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,495.00
3-	श्री अनिल कुमार ओझा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,201.00
4-	श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,499.00
5-	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,499.00
6-	श्री मुशीर अहमद अब्बासी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,416.00
7-	श्री अमरजीत त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,499.00
8-	श्री जे0पी0 सिंह-11, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 7,790.00
9-	श्री रणधीर सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2015 से नवम्बर, 2015	रू0 40,542.00

कमशः पृष्ठ.....2/-

5  
P.S. to R.G.  
(women)

05 MAR 2016

Sr. Registrar (B)

R.C.  
08/03/16

DR(M)

Sr. Regr (T) (B)  
8/3/16

S.O. (Adm. H/A)

R.(M)  
09.03.16

Ms. Sarita  
01/04/16

Yes  
44

S.O. (Admin) DR(M)  
For information only. May  
keep on record?

Janik  
01.04.16

Request-95

10-	श्री राजेशपति त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रु0 10,254.00
		योग	रु0 1,31,267.00

( रूपया एक लाख इक्तीस हजार दो सौ सरसठ मात्र)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय- 15- पेट्रोल / अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

अब्दुल शाहिद,  
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-386(1)/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) लेखा प्रकोष्ठ, न्याय विभाग को न्याय अनुभाग-8 (लेखा) के माध्यम से एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्तानुसार निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल की धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को करने का कष्ट करें।
- 4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- इरलां चेक अनुभाग को सूचनार्थ।
- 6- सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण।
- 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

( डा0 निरुपमा वर्मा )  
उप सचिव।

Santosh  
2-3-16  
CO to Encl

8  
2-3-16  
Request-95  
113  
22/2/15  
15/3/16  
16/03/16

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)  
संख्या: अधि0:083/सात-न्याय-1-16-53(अ)/2014  
लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2016  
कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्री अनिल कुमार ओझा को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-1-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक माह, अप्रैल, 2015 से माह दिसम्बर, 2015 तक की अवधि में आवास संख्या-3/494, विकल्प खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ पर हुए विद्युत व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि रू0 4500/- (रूपया चार हजार पांच सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।  
2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेतर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-09 विद्युत देय" के नामे डाला जायेगा।

(L)  
(S)

760  
S.O. Adm H/A

अब्दुल शाहिद,  
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-083(1)/सात-न्याय-1-16-तददिनांक:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
  - 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  - 3- न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को एक अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल बाउचर्स सहित इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
  - 4- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
  - 5- इरला चेक अनुभाग को सूचनार्थ।
  - 6- सम्बन्धित अधिकारी।
  - 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
  - 8- गार्ड बुक हेतु।

DRM  
01-3-16

(S)

आज्ञा से,  
(डा0 निरूपमा वर्मा)  
उप सचिव।

Rego (2)  
wom  
Santosh  
31 FEB 2016

DRM  
Yes  
29/3

SO (Admin H) (DRM)  
For information only.  
May keep on record?  
19-03-16  
20/3/16

DRM  
19/3/16

Sr. Rego (DLB)  
29/3/16

DRM  
19-03-16  
20/3/16

Scanned  
13-5-15  
Total 2 page

13-5-15

Page  
File  
Serial

214  
IV/22/5-15  
2015

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या- अधि0:640/सात-न्याय-1-15-115(अ)/2006

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

23-5-15

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) के कार्यालय ज्ञाप संख्या- अधि0-353/सात-न्याय-1-2015-115(अ)/2006 दिनांक 2-3-2015 (प्रति संलग्न) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में सुसंगत मद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण निरस्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के निम्नलिखित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-01-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित अवधि में एवं इसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराये गये व्यय-प्रमाणक के आधार पर निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल के क्रय हेतु व्यय की गयी धनराशि जिसका उल्लेख कालम-4 में किया गया है तथा जिसकी कुल धनराशि रू0 1,30,350/- (रू0 एक लाख तीस हजार तीन सौ पचास मात्र) होती है, की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	अवधि	प्रतिपूर्ति की धनराशि
1	2	3	4
1-	श्री पीयूष चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 15,611.00
2-	श्री घनश्याम पाठक, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर, दिसम्बर, 2014	रू0 10,704.00
3-	श्री अनिल कुमार ओझा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 16,704.00
4-	श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से दिसम्बर, 2014	रू0 10,564.00
5-	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 16,304.00
6-	श्री मुशीर अहमद अब्बासी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 15,866.00
7-	श्री अमरजीत त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 16,304.00
8-	श्री जे0पी0 सिंह-11, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 12,417.00
9-	श्री इसरार अहमद विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,	नवम्बर 2014 से जनवरी, 2015	रू0 15,876.00
		योग	रू0 1,30,350.00

(रूपया एक लाख तीस हजार तीन सौ पचास मात्र)

1100  
S.O. Adm/H/11  
DR-M  
12-5-15

PS to RG

Sr. Registrar (B)

DR (B)

R.G.  
08/05/15


Sr. Registrar (DIB)  
11/05/15

Amr...

25/5/15

DR(M)

This serial is only for  
information. May file  
Part list  
25-05-15 (FO)...

  
25/05/15

File.  
25-05-2015  
SIC D.R.(M)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल / अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

अनिरुद्ध सिंह,  
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-640 (1)/सात-न्याय-1-15-115(अ)/2006-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक सहित प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य क्रोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्तानुसार निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल / डीजल की धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को करने का कष्ट करें।
- 4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- इरला चेक अनुभाग को सूचनार्थ।
- 6- सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण।
- 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,



( हेरम्ब मिश्र )  
अनु सचिव।